HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11600/2026
URN: CW / 25679U / 2026

Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, Address- Mandana Tower, Thrid Floor Gopalbadi, Near Vidhaykpuri Thana, Ajmer Road, Jaipur Policey Number Og-19-1701-1803-00041410 (Insurance Company Vehicle Car Number Rj 14 Te 2942) Now Known As Bajaj General Insurance Company Limited Through Its Constituted Attorney.

----Petitioner

Versus

1. Narendra Singh S/o Late Shri Madan Singh, Aged About 38 Years, Resident Of 5/9, Highcourt Colony , Gandhinagar, Jaipur.
2. Madan Gopal S/o Ramrakh Ram, Resident- Gram Ajjiwala, Tehsil Kolayat, District Bikaner- 334305 (Driver Vehicle Car No. Rj 14 Te 2942)
3. Ola Fleet Take Pro Li, Address- 7Th Floor Manupasana Plaza, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur- 302001 (Registered Vehicle Owner Card No. Rj 14 Te 2942

----Respondents

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 11481/2026
URN: CW / 25446U / 2026

Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, Address - Mandana Tower, Third Floor Gopalbadi, Near Vidhayakpuri Thana, Ajmer Road, Jaipur Policy Number Og-19-1701-1803-00041410 Effective Date 14.02.2019 To 13.02.2020 Till (Insurance Company Vehicle Car Number Rj 14 Te 2942) Now Known As Bajaj General Insurance Company Limited Through Its Constituted Attorney

----Petitioner

Versus

1. Smt. Geeta Devi, Aged About 42 Years, W/o Late Kamlesh Kumar Gurjar
2. Ruchika Gurjar, Aged About 24 Years, D/o Late Kamlesh Kumar Gurjar

3. Dev Ashish Gurjar, Aged About 15 Years, Late Kamlesh Kumar Gurjar
4. Kavita Gurjar, Aged About 13 Years, D/o Late Kamlesh Kumar Gurjar
5. Shri. Gajanand Gurjar, Aged About 71 Years, S/o Shri. Ghasilal Gurjar
6. Smt. Jasoda Devi, Aged About 67 Years, W/o Shri. Gajanand Gurjar
7. (Claimant No. 3 And 4 Minor, Through In Capacity Of Natural Guardian And Mother Smt. Geeta Devi) All Resident -Gram Post Kherwal, Tehsil And District Dausa, Rajasthan, Presently Residing A-7, Mahatma Gandhi Marg, Gandhinagar, Jaipur
8. Madan Gopal S/o Ramrakh Ram, Resident - Gram Gajjiwala, Tehsil Kolayat, District Bikaner - 334305 (Driver Vehicle Car No. Rj 14 Te 2942)
9. Ola Fleet Take Pro. Li., Address -7Th Floor, Manupasana Plaza, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur 302001 (Registered Vehicle Owner Car No. Rj 14 Te 2942)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Prakhar Agrawal
For Respondent(s)	:	Mr. Shantanu Gupta Mr. Harshit Nehra Ms. Suhasini Singh

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/07/2026

याची की ओर से उक्त दोनों याचिकाएं विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट न्यायालय सा.दं.प्र.) जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट न्यायालय सा.दं.प्र.) जयपुर महानगर–प्रथम में प्रार्थनापत्र

दिनांकित 02.04.2026 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विधि विशेषज्ञ (forensic expert) की रिपोर्ट को अभिलेख पर लाने और उसके संबंध में साक्ष्य देने हेतु प्रस्तुत की थी, वह अधिकरण द्वारा निरस्त की गई है। उनका तर्क है कि जवाब में उन्होंने आक्षेप लिया था कि दुर्घटना बीमित वाहन से नहीं हुई थी तथा विधि विशेषज्ञ (forensic expert) की रिपोर्ट के अनुसार भी जिस प्रकार से याची दुर्घटना होना बता रहा है, बीमित वाहन से नहीं हो सकती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रार्थना की कि याचिका स्वीकार कर साक्ष्य का एक अवसर दिया जावे तथा इस हेतु वे न्यायालय द्वारा आदेशित हर्जे की राशि जमा कराने के लिए भी तैयार है।

इसके विपरीत अयाची–दावेदारों का तर्क है कि दिनांक 12.02.2025 को अयाची–बीमा कम्पनी ने स्वयं अपनी साक्ष्य पूर्ण की थी और प्रकरण अंतिम बहस के लिए रखा गया। उसके एक वर्ष से भी अधिक समय के बाद यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यन्त विलम्बित स्थिति में पेश किया गया है। साथ ही उनका यह भी तर्क है कि वर्ष 2019 की दुर्घटना के संबंध में अगस्त 2025 में रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही यह भी कि अगस्त 2025 में विधि विशेषज्ञ की रिपोर्ट तैयार हो गई थी, जिसे अभिलेख पर लाने के लिए आठ माह की अवधि के उपरान्त यह प्रार्थनापत्र प्रकरण को विलम्ब करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिकरण के आदेश में कोई अवैधता, अनुचितता और प्रतिकूलता (perversity) नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये–

1. Indu Bhutani vs. Rakesh Kapoor & Ors.
   2023 NCDHC 7538
2. Sesu Rajakili & ors. vs. Dora Suseela
   C.R.P. Nos. 3902 and 3938 of 2022 and C.M.P. No. 20457 of 2022
   Dated 06.02.2023 Madras High Court
3. Kamta Prasad vs. Omprakash & Ors.
   Misc. Petition No. 5929 of 2018 Dated 10.12.2018
   Madhya Pradesh High Court

तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। स्वीकृत रूप से वर्ष 2020 में अयाची–दावेदारों की ओर से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हुए क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में पक्षकारों की साक्ष्य दिनांक 12.02.2025 को समाप्त हो गई और स्वयं याची–बीमा कम्पनी ने ही अपनी साक्ष्य पूर्ण होना अंकित करवया था। उसके उपरान्त साक्ष्य पूर्ण होने के एक वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद यह प्रार्थनापत्र और इसके साथ तथाकथित विधि विशेषज्ञ (forensic expert) की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उल्लेखनीय है कि स्वयं याची के अनुसार ही यह विधि विशेषज्ञ (forensic expert) की रिपोर्ट उसने दिनांक 11.08.2025 को तैयार करवा ली थी, परन्तु उसके भी आठ माह बाद अत्यन्त विलम्बित स्थिति में पश्चात्वर्ती सोच के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई संतोषजनक कारण उन्होंने दर्शित नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना में कमलेश कुमार गुर्जर की मृत्यु और नरेन्द्र सिंह को कारित उपहतियों की क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रकरण लम्बित है और ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब करना न्याय के उद्धेश्यों को विफल (frustrate) करना है। विद्वान अधिकरण ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि याची की ओर से अंतिम बहस के लिए 08 अवसर लेने के उपरान्त अत्यन्त विलम्ब से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ऐसा दावेदारों की ओर से लिखित बहस पेश करने के बाद किया गया है। विद्वान अधिकरण ने कारण दर्शित करते हुए बीमा कम्पनी की ओर से निजी एजेन्सी से जांच करवाकर प्रस्तुत की गई विधि विशेषज्ञ (forensic expert) की रिपोर्ट को अभिलेख पर नहीं लिया है। हमारे विचार से इस आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधता और अनुचितता नहीं है तथा आदेश को किसी भी रूप में मनमाना और न्याय के उद्धेश्यों को विफल करने वाला नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित याची–बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी निरस्त किये जाने संबंधी आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः उक्त दोनों याचिकाएं निरस्त किये जाने योग्य हैं।

परिणामतः उक्त दोनों रिट याचिका निरस्त की जाती हैं। तद्नुसार विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

110-111/VISHAL SHARMA